संख्या– 889/एक–10–2021–33(221)/2011टीसी–3

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनांक: 20 मई, 2021

विषयः– नोवल करोना वायरस (कोविड–19) की द्वितीय लहर से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु विभिन्न मदों/कार्यो हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग–10 के पत्र संख्या– संख्या– 852/एक–10–2021–33(221)/2011 टीसी–2 दिनांक 15.04.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) की द्वितीय लहर से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु जनपदों में स्थापित क्वारेन्टाइन सेन्टर के संचालन हेतु रू0 7,72,00,000/– (रूपये सात करोड बहत्तर लाख़ मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से जनपदों को आवंटित की गयी है।

2– राजस्व अनुभाग–11 के पत्र संख्या– 329/एक–11– 2021 दिनांक 04 मई 2021 द्वारा आश्रय स्थलों व कम्युनिटी किचेन्स के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्गत किए गये है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रवासी श्रमिकों के अतिरिक्त, गरीब बेघर व्यक्तियों तथा कन्टेनमेंट जोन में फंसे व्यक्तियों को भी कम्युनिटी किचेन से पके फूड पैकेट का वितरण किया जाय। कम्यूनिटी किचेन के संचालन पर होने वाले व्यय का भुगतान शासनादेश संख्या– 852/एक–10–2021–33(221) /2011टीसी–3, दिनांक 15.04.2021 द्वारा आवंटित/स्वीकृत धनराशि रू0 7,72,00,000/– (रूपये सात करोड बहत्तर लाख़ मात्र) से किया जाएगा।

4– उपरोक्त सीमा तक उक्त शासनादेश दिनांक 15.04.2021 संशोधित समझा जाए। शासनादेश दिनांक 15.04.2021 की शेष शर्तें यथावत रहेंगीं।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः–889 (1)/एक–10–2021,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
2– अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5– राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश
5– सम्स्त मंडलायुक्त,
6– विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई–बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
7– वित्त (व्यय –नियंत्रण) अनुभाग–5।
8– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।